



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222923
CG-DL-E-03112020-222923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3499]
No. 3499]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/ कार्तिक 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3963(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट NH91 के किमी0 48.000 से 107.685 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH91 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर	खुर्जा	1 मुनि

		NH91 के कि.मी. 48 से 107.685 तक				2	क्योली खुर्द
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--------------

[फा. सं. 44011/3a]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3963(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 48.000 to Km. 107.685 of the NH91 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH91 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (Administration)	48KM To 107.685KM	UTTAR PRADESH	BULANDSHAHR	Khurja	1 Muni 2 Keoli Khurd

[F. No. 44011/3a]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.